


12.7.21

प्राणवली पेश हुई। वकील महाराज अनुपस्थित।
वकील बादी व बादी एवं वकील प्रोत्तवादीयों एवं प्रतिवादीयों
को न्यायालय समक्ष लक्ष्य बाह्य आवाज लक्ष्य
गई लेकिन न्याय उपाधिक नही हुई।

अतः बादी का वाद अन्तर्गत धारा 89-89 रा. टी. ऐ. 0
अन्तर्गत कोर्ट 09 नियम 03 के तहत अदम हाजरी
अदम परकी में लॉरज विभा जाता है। प्राणवली
जिसके सुमा. होकर न्याय से न्याय होकर कारिल
दफ्तर हो निर्यात लुके न्यायालय में सुनना था।


उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेख

